समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

फौकानिया/ मौलवी परीक्षा–2016

संयुक्त आदेश

सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक–1510/ई0–1541/ई0, दिनांक 14-04-2016 द्वारा फौकानियाँ /मौलवी परीक्षा–2016, पूर्व में दिनांक 25-04-2016 से दिनांक 04-05-2016 तक आयोजित कराने का निदेश दिया गया था। अब उक्त परीक्षा सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक–1676/ई0, दिनांक 10-05-2016 द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए फौकानियाँ /मौलवी परीक्षा–2016, दिनांक 30-05-2016 से दिनांक 06-06-2016 तक संचालित होगी। फौकानियाँ /मौलवी परीक्षा–2016 के संचालन हेतु मधेपुरा जिलान्तर्गत कुल–04 (चार) परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। दिनांक 30-05-2016 से दिनांक 06-06-2016 तक परीक्षा दोनों पालियों में होगी, यथा– प्रथम पाली 08:45 बजे पूर्वा0 से 12:00 बजे मध्य तथा द्वितीय पाली 01:45 बजे अप0 से 05:00 बजे अप0 तक होगी **(परीक्षा कार्यक्रम संलग्न)**। मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित सभी परीक्षा केन्द्रों की गोपनीय सामग्री (प्रश्न पत्र) बोर्ड द्वारा सीधे बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्य शाखा, मधेपुरा में रखवाया गया है।

अपरिहार्य कारणवश जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा ने अपने पत्रांक–174 दिनांक 19-04-2016 द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों को परिवर्तित करते हुए निम्नांकित शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र0	पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र	परिवर्तित परीक्षा केन्द्र का नाम	मदरसा संख्या	संबद्ध विद्यालय /महाविद्यालय का नाम	श्रेणी (लड़का /लड़की)	फौकानिया	मौलवी	कुल
1	S.N.P.M+2 School Madhepura, C.S. Dr. Niranjan Kumar H.M Mob. 9334841724	Womens Inter College, Madhepura, C.S Dr. Bhagawan Kumar Mishra, I/C Principal-9430009695	85	Madarsa Rahimia, At- Garha Rahmanpur, Po-Jharakaha-852128	G	0	134	134
			86	Maarsa Madintul Mashriquia At/ PO-Hathiondha, Via-Bihariganj-852101	G	0	215	215
2	Keshav Kanya H/S Madhepura C.S. Smt. Vibha Kumari H.M Mob. 9472450739	Madhepura Degree College, Madhepura C.S Dr. Ashok Kumar, Principal-9431084535	85	Madarsa Rahimia, At- Garha Rahmanpur, Po-Jharakaha-852128	G	176	0	176
			86	Maarsa Madintul Mashriquia At/ PO-Hathiondha, Via-Bihariganj-852101	G	295	0	295
			349	Madarsa Mohammadia At/PO-Puraini Via- Kumarkhand-852112	G	114	0	114
3	T.P. Collegiate H/ S Madhepura C.S. Sri Yatindra Kumar H.M, Project Girls+2 School Singheshwar-9471047326	Evening College, Madhepura C.S Sri Dinesh Kumar, Principal-9430028230	85	Madarsa Rahimia, At- Garha Rahmanpur, Po-Jharakaha-852128	B	0	96	96
			86	Maarsa Madintul Mashriquia At/ PO-Hathiondha, Via-Bihariganj-852101	B	0	201	201
4	Ras Bihari High School Madhepura C.S-Smt. Ranjana Kumari-9472029588	Madhepura Inter College, Madhepura C.S Dr. Poonam Yadav, Principal-9304927135	85	Madarsa Rahimia, At- Garha Rahmanpur, Po-Jharakaha-852128	B	131	0	131
			86	Maarsa Madintul Mashriquia At/ PO-Hathiondha, Via-Bihariganj-852101	B	212	0	212
			349	Madarsa Mohammadia At/PO-Puraini Via- Kumarkhand-852112	B	126	0	126
				Total		1054	646	1700

D/Manoj/2016/Gop/Exam./Fauqania/ Maulvi /Joint Order

(2) मधेपुरा जिला अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों का प्रश्न पत्र एवं सील्ड उत्तर पुस्तिका का पैकेट बैंक ऑफ बड़ौदा, मधेपुरा में सुरक्षित रखवाने की व्यवस्था संबंधित बोर्ड द्वारा की गई है, जहाँ से परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार दोनों पालियों का प्रश्न पत्र एक साथ परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटा पूर्व प्रश्न-पत्र अपने-अपने केन्द्र के लिये केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत कर्मी गश्ती दंडाधिकारी (सशस्त्र पुलिस बल के साथ) की उपस्थिति में एक साथ प्राप्त करेंगे। गश्ती दंडाधिकारी वाहन से प्रश्न-पत्र को परीक्षा केन्द्र तक सुरक्षित पहुँचायेंगे और वाहन में केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत दूत को भी साथ लेते आयेंगे। अनुमंडलाधिकारी इस व्यवस्था को सुनिश्चित करायेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि फौकानियाँ /मौलवी परीक्षा, 2016 का परिवर्तित केन्द्रों के अनुरूप पूर्व से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध करायी गयी गोपनीय सामग्रियों को नये परिवर्तित परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का आदेश के साथ-साथ उक्त आशय की सूचना यथानिदेशित बैंक को भी देना सुनिश्चित करेंगे।

(3) प्रतिनियुक्ति संबंधी परिशिष्ट :-

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में परीक्षार्थियों के भविष्य के हित में यह परम आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में कदाचार मुक्त सम्पन्न हो, फलस्वरूप जिला प्रशासन की जिम्मेवारी परीक्षा की पवित्रता को बनाये रखना है। ऐसी स्थिति में परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /कर्मियों का कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में जवाबदेही के साथ दायित्व निर्वहन अपेक्षित है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा आयोजित फौकानियाँ एवं मौलवी परीक्षा-2016 का संचालन स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचाररहित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल तथा लाठी बल की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट-'क' के अनुसार की जाती है। परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टेटिक दण्डाधिकारी, स्टेटिक सशस्त्र बल के प्रभारी दण्डाधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त 01 गश्ती दल तथा 01 उड़नदस्ता की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, गश्ती दल में एक दण्डाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी तथा 1-4 सशस्त्र बल होंगे। **प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /पुलिस बल 08:00 बजे पूर्वाह्न तक अपने-अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे।** अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं परिचारी प्रवर, मधेपुरा से अनुरोध है कि कन्या परीक्षार्थियों की तालाशी हेतु संबंधित परीक्षा केन्द्र पर महिला पर्यवेक्षिका /महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

(4) प्रश्न पत्र प्राप्त कर केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करना :-

मधेपुरा जिला में फौकानियाँ एवं मौलवी परीक्षा-2016 के कुल-04 (चार) परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिसका प्रश्न पत्र बैंक से निकालने में कुछ समय का लगना, परिस्थितिवश सड़क जाम आदि के मद्देनजर यथानिदेशित बैंक से परीक्षा की तिथि को निर्धारित परीक्षा का कार्यक्रम के अनुसार यथानिदेशित विषय का प्रश्न पत्र 07:00 बजे पूर्वा0 से अपने-अपने केन्द्र के लिए केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत दूत एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी (सशस्त्र पुलिस बल के साथ) की उपस्थिति में संबंधित बैंक से संयुक्त रुप से प्रश्न पत्र दोनों पालियों के लिए प्राप्त करेंगे। **शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि प्रश्न पत्रों का केन्द्रवार /विषयवार बंडल बनाकर व्यवस्थित ढ़ंग से बज्रगृह में रखाना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को गश्ती दल दण्डाधिकारी को वितरित करने में कोई असुविधा नहीं हो।** गश्ती दल दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर गश्ती वाहन से प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र तक सुरक्षित पहुंचायेंगे एवं उसी वाहन से केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत दूत को भी साथ लेते जायेंगे और मुहरबंद प्रश्न पत्र

के पैकेट को सुरक्षित रखवाएंगे। संबंधित बैंक प्रबंधक से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तिथि को निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार यथानिदेशित विषय का प्रश्न पत्र निकासी हेतु बैंक प्रतिनिधि को 07:00 बजे पूर्वा0 तक निश्चित रूप से बैंक में उपस्थित होकर प्रतिनियुक्त गश्ती दल दण्डाधिकारी /केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत दूत को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(5) प्रश्न पत्रों को खोलना :-

प्रश्न पत्र के मुहरबंद पैकेट स्टेटिक दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी के समक्ष परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व ही केन्द्राधीक्षक द्वारा खोला जाएगा, जिसकी विडियोग्राफी होगी। तत्पश्चात् केन्द्राधीक्षक कक्ष-वार प्रश्न पत्र के पैकेट को वीक्षक को हस्तगत करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई प्रश्न पत्र कक्ष से बाहर नहीं जाने पाए, इसे केन्द्राधीक्षक /स्टेटिक दण्डाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए केन्द्राधीक्षक जिम्मेवार माने जाएंगे।

(क) प्रश्न पत्रों का लेखा :- संबंधित केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरण के तुरंत बाद सभी बचे हुए प्रश्न पत्रों को एकत्रित कर उसकी वास्तविक संख्या दर्ज कर सम्पूर्ण प्रक्रिया का विडियोग्राफी कराते हुए उसे मुहरबंद लिफाफे में सील कर देंगे, ताकि बचे हुए प्रश्न पत्रों का दुरूपयोग कदापि न हो।

(6) प्रश्न पत्र कमी की समस्या का निदान :-

फौकानियाँ एवं मौलवी परीक्षा-2016 के अवसर पर प्रश्न पत्रों की कमी के निमित्त जिला सुरक्षित प्रश्न पत्र संबंधित बैंक ऑफ बड़ौदा, मधेपुरा में उपलब्ध है, फिर भी यदि प्रश्न पत्र की कमी की समस्या यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर प्रकाश में आती है, तो उक्त आशय की सूचना केन्द्राधीक्षक /स्टेटिक दण्डाधिकारी दूरभाष पर जिला दण्डाधिकारी /अनुमण्डल दण्डाधिकारी को देंगे तथा जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार सुरक्षित स्थान से संबंधित प्रश्न पत्रों का उचित संख्या में फोटो स्टेट कराकर अनुमण्डल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में संबंधित केन्द्राधीक्षकों को उपलब्ध कराया जायेगा। फोटो स्टेट जिला दण्डाधिकारी के गोपनीय शाखा /अनुमण्डल पदाधिकारी के गोपनीय शाखा या जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेश्म में किया जायेगा। इस हेतु प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा /जिला शिक्षा पदाधिकारी फोटो स्टेट /कागज, कार्टिज की व्यवस्था परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही सुनिश्चित कर लेंगे और इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने पर संबंधित केन्द्राधीक्षक /स्टेटिक दण्डाधिकारी की संयुक्त जवाबदेही होगी।

(7) परीक्षार्थियों की तलाशी/ पहचान :-

➢ प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी -सह- संयुक्त केन्द्राधीक्षक परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश करते समय मेन गेट पर उनकी सघन तलाशी लेंगे तथा उनके प्रवेश पत्र पर साटे गये फोटो से उनके चेहरे का मिलान कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अनाधिकृत परीक्षार्थी अंदर प्रवेश न करें और न ही अपने साथ आपत्तिजनक सामग्री यथा- चिट-पूर्जा, मोबाईल इत्यादि लेकर परीक्षा भवन के अंदर प्रवेश करें।

➢ महिला परीक्षार्थियों का भौतिक जाँच किसी भी परिस्थिति में पुरुष कर्मी द्वारा नहीं किया जायेगा।

➢ सभी केन्द्राधीक्षक /प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा भवन के अंदर वीक्षक को छोड़कर अन्य कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। यदि परीक्षा भवन के अंदर पानी पिलाने वाला व्यक्ति भी जाता है, उसकी भी सघन तलाशी ली जाए, ताकि वे अपने साथ चिट-पूर्जा या अन्य आपत्तिजनक सामग्री अंदर लेकर नहीं जायें।